रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 501] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 1985/आश्विन 23, 1907
No. 501] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 1985/ASVINA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1985

का. आ. 767 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 3 और 4 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के

पादेश सं का आ 462 (अ) तारीख 13 जून, 1985 का संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"23. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली, 110016"

[फा सं. 1/3/83-एल पी I]

बी. सहाय संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

## ORDER

New Delhi, the 15th October, 1985

S.O. 767(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 4 of the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 462(E), dated the 13th June, 1985, namely :—

In the said Order, for Sl. No. 23 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"23. Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016."

[F. No. 1|3|83-LP]

B. SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 1985/आश्विन 23, 1907
No. 502] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 1985/ASVINA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1985

का.आ. 768(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणाएं, जिनमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम हैं, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं —

घोषणाएं

(1)

पंजाब राज्य के 1—गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

सुखबंस कौर (नाम)
ओंकार नगर, गुरदासपुर (पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई है।

स्थान . गुरदासपुर हस्ताक्षर/— (अपठनीय)
तारीख : 27-9-85 रिटर्निंग आफिसर"

(2)

पंजाब राज्य के 2— अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (नाम)
सुपुत्र श्री अरुण मल, 26—माल रोड
अमृतसर (पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किये गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान . अमृतसर हस्ताक्षर/— (रमेश इंदर सिंह)
तारीख . 27-9-85 रिटर्निंग आफिसर"

(3)

पंजाब राज्य के 3– तरन तारन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री तरलोचन सिंह तुर (नाम)
सुपुत्र श्री मोहन सिंह
निवासी गांव एवं पोस्ट आफिस तुर
तहसील तरन तारन, जिला अमृतसर (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किए गए हैं । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन मे स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अमृतसर हस्ताक्षर/– (रमेशइंदर सिंह)
तारीख : 27–9–1985 रिटर्निंग आफिसर"

(4)

पंजाब राज्य के 4–जालन्धर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण मे, मैं घोषणा करता हूं कि —

मे. जे. रजिन्द्र सिंह स्पैरो (नाम)
62, मॉल रोड़, जालन्धर, कैन्ट (पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : जालन्धर हस्ताक्षर/– (अपठनीय)
तारीख : 27 सितम्बर, 1985 रिटर्निंग आफिसर"

(5)

पंजाब राज्य के 5– फिल्लौर (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि –

चौ. सुन्दर सिंह (नाम)
गांव दलिया, तहसील और जिला गुरदासपुर (पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए है । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : जालन्धर हस्ताक्षर/– (अपठनीय)
तारीख . 27 सितम्बर, 1985 रिटर्निंग आफिसर"

(6)

पंजाब राज्य के 6– होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि –

श्री कमल चौधरी (नाम)
सुपुत्र श्री बलबीर सिंह,
गली बलबीर सिंह, शीश महल बाजार
होशियारपुर, पंजाब राज्य (पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन मे स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : होशियारपुर हस्ताक्षर/– (अपठनीय)
तारीख : 27 सितम्बर, 1985 रिटर्निंग आफिसर"

(7)

पंजाब राज्य के 7– रोपड़ (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री चरनजीत सिंह (नाम)
म. न. 789, गली नं. 7,
इंजिन शेड, लुधियाना (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किए गए हैं । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन मे स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : रोपड़ हस्ताक्षर/ (अपठनीय)
तारीख : 27 सितम्बर, 1985 रिटर्निंग आफिसर"

(8)

पंजाब राज्य के 8–पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हू कि —

श्री चरनजीत सिंह बालिया (नाम)
13–डी, आफिसर्स कालोनी, पासी रोड,
पटियाला (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किय गए हैं । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान . पटियाला (हस्ताक्षर/–(एस.के. सिन्हा)
तारीख : 27–9–1985 रिटर्निंग आफिसर"

(9)

पंजाब राज्य के 9– लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हू कि –

श्री मेवा सिंह (नाम)
गांव खाडियां कलां, डा.ः हा. वग्गा खुर्द,
तहसील और जिला लुधियाना (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किए गए हैं । उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : लुधियाना हस्ताक्षर/ (अपठनीय)
तारीख : 27–9–1985 रिटर्निंग आफिसर"

(10)

पंजाब राज्य के 10— संगरुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

बलवन्त सिंह रामूवालिया (नाम)

गांव और पो. आ. रामूवालिया — नया— (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : संगरुर हस्ताक्षर/- (पी. राम)

तारीख : 27-9-1985 रिटर्निंग आफिसर"

(11)

पंजाब राज्य के 11— भटिन्डा *(अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री तेजा सिंह दर्दी (नाम)

गांव समों थाने डा. घ. भिखी, तहसील मन्सा (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किये गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भटिन्डा हस्ताक्षर/- (अपठनीय)

तारीख : 27-9-1985 रिटर्निंग आफिसर"

(12)

पंजाब राज्य के 12—फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री शमिन्दर सिंह (नाम)

भाई जरनैल सिंह रोड़, मुक्तसर

जिला फरीदकोट (पता)

जो शिरोमणि अकाली दल द्वारा खड़े किये गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचित-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : फरीदकोट हस्ताक्षर/-(भुपिन्दर सिंह सिद्धू, आई.ए.एस.)

तारीख : 27-9-1985 रिटर्निंग आफिसर"

(13)

पंजाब राज्य के 13— फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों (नाम)

हरजी निवास, माल रोड़, फिरोजपुर शहर,

जिला फिरोजपुर (पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किये गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : फिरोजपुर हस्ताक्षर/- (अपठनीय)

तारीख : 27 सितम्बर, 1985 रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. 13 (4)/ 85— विधायी II]

क. सुब्रामणियन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1985

S.O. 768(E) :—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the name of the candidates elected in the constituencies referred to therein, are published for general information :—

## DECLARATIONS

Election to the House of the People from 1-Gurdaspur Parliamentary constituency in State of Punjab.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sukhbuns Kaur (Name)

Onkar Nagar, Gurdaspur (Address)

Sponsored by Indian National Congress

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Gurdaspur Sd/- (Illegible)

Date : 27-9-1985. Returning Officer."

(2)

Election to the House of the People from the 2-Amritsar Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Raghunandan Lal Bhatia (Name)

S/o Shri Aroora Mal, 76-The Mall, Amritsar. (Address)

Sponsored by Indian National Congress

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Amritsar Sd/- (Ramesh Inder Singh)

Date : 27-9-85 Returning Officer."

(3)

Election to the House of the People from the 3-Tarn Taran Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Tarlochan Singh Tur (Name)
Son of Shri Mohan Singh, Resident of Village & Post Office Tur, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar (Address)

Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Amritsar Sd/- (Ramesh Inder Singh)
Date :27-9-1985 Returning Officer."

(4)

Election to the House of the People from the 4-Jalandhar Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Maj. Gen. Rajinder Singh Sparrow (Name)
62, The Mall, Jalandhar Cantt. (Address)

Sponsored by Indian National Congress

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jalandhar Sd/- (Illegible)
Date :27th September, 1985 Returning Officer."

(5)

Election to the House of the People from the 5-Phillaur (S.C. Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Ch. Sunder Singh (Name)
Village Dalia Tehsil & District Gurdaspur (Address)

Sponsored by Indian National Congress

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jalandhar Sd/- (Illegible)
Date :27th September, 1985 Returning Officer."

(6)

Election to the House of the People from the 6-Hoshiarpur Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Kamal Chaudhry (Name)
Son of Sh. Balbir Singh, Gali Balbir Singh, Sheesh Mahal Bazar Hoshiarpur, Punjab State (Address)

Sponsored by Indian National Congress

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Hoshiarpur Sd/- (Illegible)
Date :27th September, 1985 Returning Officer."

(7)

Election to the House of the People from the 7-Ropar (S.C.) Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Sh. Charnjit Singh (Name)
H. No. 789, Street, No. 7, Engine Shed Ludhiana (Address)

Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ropar Sd/- (Illegible)
Date :27th Sept., 1985 Returning Officer."

(8)

Election to the House of the People from the 8-Patiala Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I delare that :—

S. Charanjit Singh Walia (Name)
13-D Officers Colony, Passi Road, Patiala (Address)

Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Patiala Sd/- (S.K. Sinha)
Date :27-9-1985 Returning Officer."

(9)

Election to the House of the People from the 9-Ludhiana Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Sh. Mewa Singh (Name)
Village Ladian Kalan, P.O. Bagga Khurd, Tehsil and District Ludhiana (Address)

Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ludhiana Sd/- (Illegible)
Date :27-9-1985 Returning Officer."

(10)

Election to the House of the People from the 10-Sangrur Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Balwant Singh Ramuwalia (Name)
V. & P.O. Ramuwalia —New (Address)
Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sangrur Sd/- (P. Ram)
Date :27-9-1985 Returning Officer."

(11)

Election to the House of the People from the 11-Bhatinda (SC) Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Teja Singh Dardi (Name)
of Village Samaon, P.O. Bhikhi,
Teh. Mansa (Address)

Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Bhatinda Sd/- (Illegible)
Date :27-9-1985 Returning Officer."

(12)

Election to the House of the People from the 12-Faridkot Parliamentary Constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shamsher Singh (Name)
Bhai Jarnail Singh Road, Muktsar
District Faridkot (Address)
Sponsored by Shiromani Akali Dal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Faridkot Sd/- (Bhupinder Singh Sidhu, IAS)
Date :27-9-1985 Returning Officer."

(13)

Election to the House of the People from the 13-Ferozepore Parliamentary Constituency in Punjab State

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that :—

Shri Gurdial Singh Dhillon (Name)
Barji Dewan Mall Road Ferozepore City
District Ferozepore (Address)

Sponsored by Indian National Congress

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Ferozepore Sd/- (Illegible)
Date :27th September, 1985 Returning Officer."

[F No. 13(4)/85-Leg. II]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

952 GI/85—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985